भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1239
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

कॉलेजियम प्रणाली

1239. श्री डी.के. सुरेश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉलेजियम 'प्रणाली में पारदर्शिता के अभाव में इसका कड़ा विरोध हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रोन्नति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन और उच्चतम न्यायालय की 28 अक्टूबर 1998 (तीसरे न्यायाधीश मामला) की उनकी सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्टूबर 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के निर्णय के अनुसार 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से रिक्तियों के उद्भूत होने से छह मास पूर्व उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव शुरू करना अपेक्षित है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह नियुक्ति तंत्र से बदलने और प्रणाली में अधिक निष्पक्षता लाने के लिए, सरकार ने संविधान (निन्यानवेवा संशोधन) अधिनियम, 2014 और 13.04.2015 से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को लागू किया । तथापि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 के निर्णय द्वारा दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया। संविधान (निन्यानवेवा संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन से पहले विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रचालित घोषित किया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनजेएसी मामले में 2015 की रिट याचिका (सि) 13 की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के पूरक पर 16-12-2015 को विस्तृत आदेश जारी किया और अधिकथन किया कि भारत सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इसे पूरक करके प्रक्रिया ज्ञापन को

अंतिम रूप दे सकती है। । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ सबसे अवर न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मति से विचार के आधार पर विनिश्चय करेंगे । आदेश में कथन किया गया है कि वे नियुक्ति की गोपनीयता का त्याग किए बिना उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम बातचीत सहित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, पात्रता मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, सचिवालय, शिकायत तंत्र और सिफारिश करने वालों के साथ उपयुक्त माने जाने वाले विविध मामले के रूप में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेंगे।

उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने सम्यक परिश्रम के पश्चात संशोधित एमओपी को 22.3.2016 को भारत के माननीय मुख्य न्यायामूर्ति को भेजा और संशोधित मसौदा एमओपी पर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम का प्रतिउत्तर 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुआ । एससीसी के विचारों के प्रतिउत्तर में सरकार के विचारों को 03.08.2016 को सीजेआई को अवगत कराया गया था। इसके पश्चात 13.03.2017 को ड्राफ्ट एमओपी पर सरकार के विचारों पर एससीसी की टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

तत्पश्चात, उच्चतम न्यायालय ने स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही में तारीख 04.07.2017 के अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नति के लिए अपने नाम की सिफारिश करते समय अवमाननाकर्ता के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए उचित प्रक्रिया प्रदान नहीं करने की प्रणाली की विफलता को उजागर किया जो अन्य बातों के साथ साथ, संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सुसंगत बिंदुओं पर सरकार के विचारों को तारीख 11.07.2017 के पत्र के माध्यम से भारत के उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया था।

उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने अपने निर्णय तारीख 28.03.2018 को 2018 की आपराधिक अपील संख्या 470 में प्रणाली में कमियों को सामने लाया और संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

एक अन्य मामले में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे के संबंध में मेसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड लिमिटेड और ओआरएस [2019 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या: 2419] से जुड़े मामले की सुनवाई करते समय, उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ, तारीख 20.04.2021 के आदेश के अधीन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को संसाधित करने में सरकार द्वारा लिए गए समय के संबंध में अतिरिक्त समयसीमा अधिकथित किया । तथापि, ये समयसीमा अभी भी एमओपी का हिस्सा नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों के आसीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में 2019 के रिट याचिका (सि) 1236, ने अपने निर्णय तारीख 20.04.2021 के द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए नए मानदंड विहित किए हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, सरकार ने विद्यमान एमओपी के अनुपूरक पैरा 24 के लिए 18.08.2021 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अनुच्छेद 224क के अधीन उच्च न्यायालयों में आसीन न्यायाधीश सेवानिवृत्त की नियुक्ति का उपबंध है। यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

एनजेएसी मामले में 2015 की रिट याचिका (सि)13 तारीख 16.12.2015 के उच्चतम न्यायालय के आदेश में नियत मानदंडों पर एमओपी के अनुपूरक के लिए प्रस्ताव भेजते समय, सरकार ने क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय स्तर पर एक स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की आवश्यकता सहित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम की सहायता के लिए सुझाव दिए हैं। यह प्रस्तावित किया गया था कि समितियां संभावित अभ्यर्थी की उपयुक्तता पर सुसंगत सामग्री की जांच और

मूल्यांकन कर सकती हैं और एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेंगी। सिफारिशें करने का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संबंधित कॉलेजियम द्वारा प्रयोग किया जाता रहेगा। तथापि, उच्चतम न्यायालय ऐसी समितियों के गठन के लिए सहमत नहीं था।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को तारीख 06.01.2023 के अपनी संसूचना में, सरकार ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया है और अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संबंध में खोज-सह-मूल्यांकन समिति में भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि सम्मिलित होना चाहिए। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, समिति में भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री द्वारा नामित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्य सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित होने चाहिए। विद्यमान एमओपी में कथन किया गया है कि यदि मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करना चाहते हैं, तो उन्हें इसे विचार के लिए अग्रेषित करना चाहिए। तथापि, चूंकि इसे वास्तविक रूप में नहीं रखा गया है, इसलिए मुख्य मंत्री द्वारा अनुशंसित नाम भी खोज-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, साथ ही कॉलेजियम के बाहर वरिष्ठ न्यायाधीशों और डेटाबेस से लिए गए पात्र अभ्यर्थियों से लिए गए नाम (न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ताओं) जैसा कि प्रस्तावित सचिवालय द्वारा बनाए रखा गया है। उक्त समितियों को उन पात्र अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा जिनसे संबंधित कॉलेजियम सिफारिश करेंगे। उच्च न्यायालय कॉलेजियम उक्त समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल पर विचार-विमर्श कर सकता है और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्ति और न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश कर सकता है। कॉलेजियम उपयुक्त स्तर पर उपरोक्त स्रोतों से पात्र अभ्यर्थियों के पैनल को तैयार करने की उपरोक्त आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है और अपेक्षित कारण प्रस्तुत करके अपनी कार्यवाही तैयार कर सकता है और उसके पश्चात सुसंगत दस्तावेजों के साथ सरकार को प्रस्ताव भेज सकता है।

****